



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

संख्या:- 185 / 58 / गोपन / रा०प००का०-१५ / २०१५-१६,

दिनांक: 17 नवम्बर, 2016

### अनुपूरक परीक्षा परिणाम

प्रवक्ता, उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक परीक्षा-2015 के स्क्रीनिंग परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक 09 फरवरी, 2016 के सापेक्ष विभिन्न पदों हेतु अनुपूरक परीक्षा परिणाम में निम्नलिखित अनुक्रमांक के अध्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से पदवार साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जाता है—

(1) पद— प्रवक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स

415148

(2) पद— प्रवक्ता, विद्युत

409125      409426

(3) पद— प्रवक्ता, सिविल

402117      408308

(4) पद— प्रवक्ता, आईटी०

405435      405852      408537      413003      413869      414161

416424      417355

(5) पद— प्रवक्ता, कम्प्यूटर साइंस एंड इंजी० / पी०जी०डी०सी०ए० / सी०ई०

401800      404993      405967      409762      414230      416978

(6) पद— प्रवक्ता, रबड़ एवं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी

407721      408610

नोट—

- उक्त परीक्षा परिणाम मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या:-414 (एस / बी) ऑफ 2015 कविता जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेगा।

2. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑन लाईन आवेदन—पत्रों में किये गये दावों यथा शैक्षिक अहंता, स्थायी निवास, लम्बवत् / क्षैतिज आरक्षण इत्यादि के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना शेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार परीक्षा / अंतिम चयन से पूर्व समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

3. अभ्यर्थियों के शैक्षिक अहंता, आरक्षण इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण प्रत्रों की सत्यापित प्रति ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ मंगाया जाएगा, जिसके संबंध में विज्ञप्ति पृथक से प्रकाशित की जाएगी।

4. उक्त सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिसम्बर अंतिम सप्ताह में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम की सूचना आयोग की वेबसाईट पर अलग से प्रसारित की जायेगी।

5. अनुपूरक परीक्षा परिणाम एवं कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी इस सम्बंध में पृथक से अभ्यर्थी सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रेषित न करें।

6. स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अलग से साक्षात्कार ज्ञाप प्रेषित नहीं किया जायेगा, अपितु साक्षात्कार ज्ञाप एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित किये जायेंगे, जिसको अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां भरने के पश्चात साक्षात्कार के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगा। अन्य विवरण एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में जानकारी पृथक से समाचार पत्र एवं आयोग की वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी।

(जी०एस०रावत)  
प्र०सचिव

**प्रतिलिपि—** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव/अपर निजी सचिव मा० अध्यक्ष/मा० सदस्यगण को मा० अध्यक्ष/मा० सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/अपर सचिव विधि/वित्त नियंत्रक/उप सचिव।
3. अनुसचिव, सेवा अनुभाग—2
4. व्यवस्थाधिकारी को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी आई०टी० को उक्त परीक्षाफल आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।

प्र०सचिव